न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, कम 9, जयपुर महानगर

पीठासीन अधिकारी : भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य
R.J.S.(DISTRICT JUDGE CADRE)

दीवानी नियमित अपील संख्या : 07/2012

भूतपूर्व सैनिक कल्याण तथा आम जनता कैलाश नगर, कुमावत कॉलोनी एवं प्रेम नगर विकास समिति जरिये महामंत्री हरिशचन्द्र वर्मा पुत्र छोटेलाल कुमावत निवासी–63, 64 कैलाश नगर झोटवाडा, जयपुर।

..... अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. ऐरिया कमान्डर मुख्यालय 61(इन्डिपेन्डेट) सब ऐरिया मिलिट्री ऐरिया, झोटवाडा, जयपुर।
2. भारत संघ जरिये रक्षा सचिव भारत सरकार, केन्द्रिय सचिवालय नई दिल्ली।

...... प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 96 सी.पी.सी. विरुद्व निर्णय व डिकि दिनांक 03–02–2012 मु.नं. 616/1994 द्वारा अति0 सिविल न्यायाधीश पश्चिम जयपुर महानगर पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह आर जे एस।

उपस्थित–
1– श्री जी0पी0शर्मा अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
2– श्री आर डी रस्तोगी अति0 महाधिवक्ता, एस.एस.नरूका एवं सी.एस.सिन्हा वास्ते प्रत्यार्थीगण।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.07.2017

अपीलार्थी/वादी द्वारा हस्तगत अपील मुकदमा न0 616/94 में पारित निर्णय व डिकि दिनांक 03.02.12 के विरूद्व माननीय जिला न्यायाधीश जयपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे विधि अनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर इस आशय के अनुतोष की मांग की गई कि प्रतिवादी वादग्रस्त विवादास्थल आसाम मेदा फेक्ट्री कैलाश नगर रोड जो केन्द्रीय विद्यालय न0 2 के पश्चिम में प्रेम नगर, कैलाश नगर एवं कुमावत कॉलोनी

झोटवाडा जयपुर स्थित आम जनता द्वारा उपयोग में ली जा रही हैं, के लोकमार्ग को जबरिया ताकत के बल पर अवरूद्व नहीं करे ना अपने कर्मचारियों से करावें एवं जो खाई चार फीट गहरी, बीस फीट लम्बी खोदी है उसे मिट्‌टी डालकर वापस भर दे, वादीगण समिति के सदस्यों को रोड से आवागमन में अवरोध कारित ना करें। उक्त अनुतोष के संबंध में वादी के वाद का मुख्य रूप से यह आधार रहा है कि आसाम मेदा फेक्ट्री से केन्द्रीय विद्यालय, कैलाश नगर के आवागमन हेतु जयपुर – सीकर रेल्वे लाईन को पार कर जयपुर फुलेरा रेल्वे लाईन से मिलिट्री एरिया तक जाने वाली एक मुख्य रोड से कैलाशनगर, कुमावत कॉलोनी एवं प्रेमनगर तीनों आवासीय क्षेत्र के निवासी एवं समिति के सदस्य केन्द्रीय विद्यालय न0 2 के पश्चिम ओर से प्रेम नगर तक एक आम रास्ता पक्की डामर रोड है जिस पर उक्त क्षेत्र के समस्त निवासीगण आवागमन के अधिकार को करीब 18 – 20 वर्ष से जन उपयोग में लेते रहे है जो आज भी कायम है। प्रतिवादी मिलिट्री ऐरिया का सब ऐरिया कमान्डर एवं प्रमुख मिलिट्री अधिकारी है तथा वह अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियो के द्वारा उक्त रोड से आवागमन को अवरूद्व करने को आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार नही है क्योंकि यदि आम रास्ते को अवरूद्व कर दिया जाता है तो उक्त क्षेत्र के निवासीयों को समस्त सुविधाएं प्राप्त करने हेतु अनावश्यक रूप से 7–8 किलोमीटर झोटवाडा जाकर पुनः जयपुर झोटवाडा रोड का चक्कर लगाकर आना पडेगा।

प्रतिवादीगण ने वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से यह अभिकथित किया कि आसाम मेदा फेक्ट्री से केन्द्रीय विद्यालय तथा इसके आगे डामर रोड निर्मित है जो रक्षा क्षेत्र की है व रक्षा विभाग के स्वामित्व की सडक है जिसका उपयोग व उपभोग मात्र रक्षा प्रयोजनार्थ व रक्षा भूमि पर निर्मित कार्यालयों, रक्षा कर्मचारियों के लिए बनाये गये आवासीय मकान व केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए होता है। सडक रक्षा विभाग ने अपने स्वामित्व की भूमि पर स्वयं के उपयोग के लिए बनाई है यह सडक आम रास्ता नही है ओर ना ही किसी प्राईवेट कॉलोनी के निवासीयों के काम में आती है। सडक का रख रखाव राज्य सरकार या सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य एजेन्सी या संस्था द्वारा नही किया जाता है बल्कि रक्षा मंत्रालय अपने फंड से करता है। यह सुरक्षित क्षेत्र होकर आम रास्ता नही है तथा कोई आम जनता वैधानिक तौर पर उक्त सडक को काम मे लेने के लिए अधिकृत नही है। आम

जनता को मिलिट्री के छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नही है। रक्षा विभाग की भूमि पर बनी सडक को यदि आम रास्ता घोषित कर दिया जाता है तो सेना क्षेत्र में अनेक व्यवधान उत्पन्न हो जायेगे, चोरी चकारी का डर हो जायेगा, दुघ ्टनाऐं होगी, रक्षाकर्मी की सेवाएं ज्यादातर फिल्ड में रहती है तथा रक्षा विभाग में बनी छावनी की सुरक्षा करना मुश्किल हो जायेगा। भूमि रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व की हैं तथा राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता दर्ज नहीं हैं बल्कि सेना का सुरक्षित क्षैत्र हैं जिससे रक्षा, सुरक्षा, गोपनीयता का प्रश्न जुडा हुआ हैं ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति या नागरिक को रक्षा विभाग की भूमि से आवागमन का अधिकार नहीं दिया जा सकता हैं, पूर्णतया सुरक्षित क्षैत्र होने के कारण आम रास्ता नहीं हो सकता हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक विरचित किये–

1. आया आसाम मैदा फैक्ट्री से केन्द्रीय विद्यालय कैलाशनगर के आवागमन हेतु जयपुर सीकर रेल्वे लाईन को पार कर जयपुर फुलेरा रेल्वे लाईन से मिलिट्री एरिया तक जाने वाली रोड, कैलाशनगर कुमावत कॉलोनी व प्रेमनगर के निवासियों के लिए आम रोड है?

2. आया प्रतिवादीगण ने विवादित आम रोड काटकर 4 फीट गहरी एवं 20 फुट लम्बी खाई अनाधिकृत रूप से आवागमन में अवरोध करने हेतु खोदी है जिसे वादीगण जरिये आज्ञापक व्यादेश भरवाकर पूर्ववत स्थिति कराने के अधिकारी है?

3. आया प्रतिवादीगण विवादित आम रास्ते के आवागमन में वादीगण को व अन्य कॉलोनीवासियों को व्यवधान उत्पन्न करते है जिन्हें वादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी है?

4. आया वादीगण द्वारा दावा दायर करने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिये जाने से दावा वादीगण चलने योग्य नही है?

5. आया वादीगण ने प्रतिनिधित्व हैसियत से दावा पेश नहीं करने के लिए व उसके प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है?

6. आया वादीगण का दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का होने के कारण चलने योग्य नहीं हैं?

7. आया वादी संख्या 1 एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं होने से मौजूदा वाद चलने योग्य नहीं है?

8. अनुतोष

वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पी0डब्ल्यू0 1 हरपाल सिंह, पी0डब्ल्यू0 2 लज्जाराम धाकड, पी0डब्ल्यू0 3 सुबेदार मेजर जसवन्त सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में बल्यू प्रिंट नक्शा प्रदर्श–1, राजपूताना स्टेट के समय के सर्वे का नक्शा वर्ष 1930–1931 प्रदर्श 2, प्रधानमंत्री को की गयी शिकायत प्रदर्श–3 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। इसके खण्डन में प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी0डब्ल्यू0 1 ले0 कर्नल एस.के. धवन को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये गये।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आलोच्य निर्णय व डिक्री से अस्वीकार कर खारीज किया जिसको वादी ने हस्तगत अपील के जरिये चुनौती दी है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उल्लेखित आधारों को मौखिक बहस में दोहराते हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कानुन सम्मत नही है न ही दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। प्रतिवादी की ओर से विरोधात्मक अभिकथनों की पुष्टि में ऐसी कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि विवादित आम रास्ते की सडक प्रतिवादी के एक मात्र स्वामित्व व कब्जे की हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य विचार योग्य बिन्दू यह रहा कि वादग्रस्त आम रास्ते की सडक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है, इसको लगभग 30–32 वर्षों से वादी समिति के सदस्य एवं आम जनता उपयोग उपभोग में लेते रहे है जिसकी पुष्टि वादी समिति की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाद में निहित मिलिट्री ऐरिया की व्याख्या समझने में भूल की है। मिलिट्री ऐरिया शब्द स्वीकृत होने मात्र से यह नही माना जा सकता कि उस क्षेत्र की समस्त सुख सुविधा जो आमजन के लिए उपलब्ध है तथा आमजन वर्षो से उपयोग व उपभोग कर रहे है वह एक मात्र प्रतिवादी के स्वामित्व व कब्जे की है, उस पर वादी समिति के सदस्यों व आम जन को आम रास्ते का अधिकार प्राप्त नही है। वादग्रस्त आम रास्ते की सडक से वादी समिति के सदस्य एवं आमजन निरंतर बेरोक टोक लगभग 18–20 वर्षो से आवागमन मे उपयोग व उपभोग मे लेने के कारण आम रास्ते का अधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने मूल विवाद को

सुखाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण नही कर कानूनी भूल की है। प्रतिवादी ने सडक निर्माण करने व उसके रख रखाव करने से संबंधी दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है। अधिनस्थ न्यायालय की यह फाईडिंग विधि सम्मत नही है कि किसी विशेष क्षेत्र के विशेष व्यक्ति के आवागमन के लिए ही रास्ता उपलब्ध हो तो उसे आम रास्ता नही माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की यह फाईडिंग भी विधि सम्मत नही है कि वादग्रस्त सडक के अलावा अन्य रास्ता वादी समिति व आम जन के लिए उपलब्ध है, इसलिए वादग्रस्त रास्ता आम रास्ता नही है। माननीय उच्च न्यायालय ने AIR 1988 Karnataka 300 Nitin G. Khot vs Station Commandant, Belgaum में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि भारत संघ की सम्पति पर प्रत्येक नागरिक का बिना व्यवधान के आवागमन है जिसको अप्रार्थी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता हैं, उपरोक्त निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च में SLP दायर की गई जो खारिज हुई है। उसके पश्चात उक्त आदेशों की अनुपालना में आर्मी हेडक्वार्टरस द्वारा आदेश दिनांक 13.10.1998 एवं 20.12.2000 जारी कर समस्त केन्टोनमेन्ट एवं मिलिट्री स्टेशन को आदेशित किया कि आम जनता को तथाकथित आम रास्तों की आवाजाही से प्रतिबंधित नही किया जावें। उक्त दोनो पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जरिये अभिलेख पर लिये गये है जो क्रमशः प्रदर्श 4 एवं 5 है। उक्त पत्रों से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को उक्त आम रास्ते से आवागमन में बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नही है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रदर्श 4 व 5 पत्रों से तनकी सं. 1 वादी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य तनकियात का निर्णय भी वादी के विरुद्व कर कानुनी व तथ्यात्मक भूल की हैं। उपरोक्त आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्रि अपास्त किया जाकर वादी का वाद डिक्रि किया जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने मौखिक बहस समाप्त होने के पश्चात प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर बहस करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण होना बता कर अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्को का विरोध करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर मौखिक बहस में यह तर्क दिया कि वादी साक्षी

जसवंत सिंह ने प्रतिपरिक्षण में स्वीकार किया हैं कि विवादित रास्ता केवल मिलिट्री एरिया में आवागमन के लिए हैं तथा उक्त सडक का निर्माण मिलिट्री इंजिनियर्स सर्विस द्वारा किया गया है, इसी प्रकार पी0डब्ल्यू 2 लज्जाराम ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मिलिट्री ऐरिया बाउड्रींवॉल से घिरा हुआ है। सिविल रोड होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया, इसी तरह पी0डब्ल्यू 1 हरदयाल सिंह ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रास्ते का निर्माण पी0डब्ल्यू0 डी0 ने नही किया है। सडक का मेटिंनस मिलिट्री इंजिनियर्स सर्विस द्वारा किया जाता है, इस प्रकार मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नही हुआ है कि विवादित सडक आम रास्ता हो, आम रास्ता होने के संबंध में कोई दस्तावेजीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये गये है। वादी ने सुखाधिकार के लिए पर्याप्त अभिवचन नही लिये है ना ही सुखाधिकार की कोई साक्ष्य है। सेना की भूमि में सुखाधिकार नही हो सकता है। यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो आवश्यकता के सुखाधिकार की मांग नही की जा सकती है। वादी समिति की ओर से जरिये मंत्री हरिशचन्द्र वर्मा द्वारा दावा पेश किया गया है लेकिन हरिशचन्द्र वर्मा साक्ष्य में परिक्षित नही हुआ है, जिससे वादी के विरूद्व प्रतिकुल उपधारणा लिया जाना आवश्यक है। दावा प्रतिनिधि हैसियत से प्रस्तुत नही किया गया है, इसलिए वादी को अपने व्यक्तिगत अधिकार साबित करने पडेगे लेकिन वादी ऐसा करने में विफल रहा है। मिलिट्री की भूमि के वर्गीकरण हेतु बनाये गये निर्देशों एवं नितियों के कम्पेयडियम के भाग 3 के अनुसार केन्टोनमेन्ट के अन्दर की भूमि की व्यवस्था दी गई है। कम्पेयडियम के अनुच्छेद 32 के अनुसार केन्टोमेन्ट के बाहर की भूमि किस तरह उपयोग में ली जायेगी, इस संबंध में व्यवस्था दी हुई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 4 व 5 ऐसे आम रास्तों के संबंध में लागु होते है जहां की केन्टोनमेन्ट एक्ट 1924 के प्रावधान प्रचलित हो। यह दोनों परिपत्र पूर्व के परिपत्रों को स्पष्ट किये जाने बाबत जारी किये गये है, जिसमें मिलिट्री ऐरिया बाबत कोई जिक्र नही है केवल मात्र केन्टोमेन्ट ऐरिया के रास्तो के संबंध में व्यवस्था दी गई है। प्रत्यर्थीगण की भूमि केन्टोनमेन्ट एक्ट के तहत विनियमत होने वाली नही है। उक्त एक्ट के प्रावधान मिलिट्री ऐरिया जयपुर पर लागु नही होते है। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे किसी भी रास्ते को जो आम रास्ता नही है, उसे प्रत्यर्थीगण बंद करने हेतु स्वतंत्र है। इस ऐरिया में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज, हथियार इत्यादि रखे हुए है, ऐसी अवस्था में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष राष्ट्रीय हित के प्रतिकुल है।

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या एक, दो, तीन एवं छः का निर्णय वादी के विरूद्व करने पर वाद खारीज करने पर किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने विरोध करते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दोनो दस्तावेज हस्तगत प्रकरण के विवाद से किसी प्रकार से सुसंगत नही है ना ही विवाद को निर्धारित करने में किसी प्रकार की मदद करते है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, उभयपक्षों के विरोधाभाषी तर्को पर मनन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर तय किये जाने से पूर्व बहस समाप्त होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को निर्धारित किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपीलार्थीगण ने भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से जारी पत्र दिनांक 07. 01.15 जिसे अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई रीट याचिका में प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, उसे तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 16.06.2010 को अभिलेख पर लिये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो दस्तावेज फोटो प्रति हैं, दस्तावेज पत्र दिनांक 07.01.2015 किसी भी जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षिरत नही है न ही यह पत्र विवादित क्षेत्र या विवादित सडक से संबंधित है, ऐसी स्थिति में यह दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण के लिए सुसंगत नही है। जहां तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र 16.06.2010 का प्रश्न है, यह पत्र ज0वि0प्रा0 के सचिव द्वारा विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा गया है, जिसमें राम मंदिर रेल्वे स्टेशन से खातीपुरा रेल्वे लाईन के साथ साथ मिलिट्री ऐरिया से होते हुए और खातीपुरा से कनकपुरा तक सडक बनवाने के संबंध मे सैन्य अधिकारियों से सडक निर्माण की सम्भावना तलाशने हेतु सैन्य क्षेत्र में पी0टी0 सर्वे करवाये जाने के संबंध में लिख गये पत्र के संबंध में हुई उन्नति के बारे में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि सडक निर्माण का प्रकरण सिविल मिलिट्री लाईजनिंग कमेटी में लम्बित है। इस प्रकार यह पत्र भी हस्तगत प्रकरण के विवाद को निर्धारित करने में किसी प्रकार से सहायक प्रतीत नही होता हैं। यहां यह उल्लेखित किया जाना भी

प्रासंगिक हैं कि अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.04.2015 को आवेदन प्रस्तुत कर आर्मी हेडक्वार्टरस द्वारा आदेश दिनांक 13.10.1998 एवं 20.12.2000 को अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.17 को स्वीकार करते हुए उक्त दोनों पत्रों को अभिलेख पर लिया गया तथा जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण करने के लिए अंतिम समय सीमा जुलाई माह के अंत तक कर दिये जाने की निर्धारित की गई तब अपीलार्थी ने मौखिक बहस समाप्त होते ही उक्त आवेदन प्रस्तुत किया हैं। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावाधानों की व्याप्ति (Scope) काफी सीमिति हैं जिसके अनुसार अपील के पक्षकार अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के हकदार तभी हो सकते हैं जब अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इन्कार कर दिया हैं जिसे ग्रहण किया जाना चाहिए या पक्षकार यह सिद्व कर देता हैं कि वह सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था जब डिक्रि पारित कर गयी या न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किये जाने की अपेक्षा या तो स्वंय निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान हेतुक के लिए करें। उक्त प्रावधानों को आदेश 7 नियम 14 एवं आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के समकक्ष नहीं माना जा सकता हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई आधार विधमान नहीं हैं जो प्रार्थनापत्र को आदेश 41 नियम 27 सीपीसी की व्याप्ति (Scope) में लाता हो, यहॉ तक कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से भी समर्थित नहीं हैं। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत को रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकारों द्वारा जो अभिवचन प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह एक स्वीकृत तथ्य उभकर आता हैं कि आसाम मैदा फैक्ट्री से केन्द्रीय विद्यालय तथा इसके आगे रास्ता विधमान हैं जिस पर डामर की रोड बनी हुई हैं। दोनों पक्षों के मध्य विवाद मुख्य रुप से इस बिन्दु पर हैं कि वादी पक्ष इस रास्ते को आम रास्ता होना बताते हैं एवं प्रतिवादी पक्ष इस रास्ते को अपने स्वामित्व की भूमि पर होना बताकर स्वंय के उपयोग के लिए स्वंय द्वारा निर्मित होना बताते हैं। इस संबंध में अधिनस्थ द्वारा विवाधक सं. 1 कायम किया गया था, विवाधक सं. 1 के विवेचन से प्राप्त परिणाम पर ही विवाधक सं. 2 एवं 3 का परिणाम निर्भर हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाधक सं. 1,2,3 एवं 6 का निर्णय वादी के विरुद्व करते

हुए वाद खारिज किया हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन में जिन आधारों पर आलोच्य निर्णय व डिक्रि को चुनौती दी गई हैं एवं जो आधार लिखित एवं मौखिक बहस में उठाये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना हैं :–

(1.)– आया विवादित रास्ता आम रास्ता हैं या प्रतिवादी के निजी स्वामित्व का हैं ?

(2.)– आया विवादित रास्ता प्रतिवादी के निजी स्वामित्व का प्रमाणित हो जाने पर भी वादी सुखाधिकार के आधार पर विवादित रास्ते से आवागमन का अधिकार रखता हैं ?

(3.)– आया विवादित रास्ता आम रास्ता द्योषित करवाये बिना वादी निषेधाज्ञा के वाद के जरिये वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

बिन्दू संख्या 1

वादी पक्ष ने विवादित रास्ते को आम रास्ता प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डबल्यु. 1 हरपालसिंह को परिक्षित करवाया हैं जिसने मुख्य रुप से वाद में वर्णित अभिवचनों को मुख्य परिक्षा के शपथ में दोहराते हुए बताया कि आसाम मेदा फेक्ट्री से केन्द्रीय विद्यालय, कैलाश नगर के आवागमन हेतु जयपुर – सीकर रेल्वे लाईन को पार कर जयपुर फुलेरा रेल्वे लाईन से मिलिट्री एरिया तक जाने वाली मुख्य रोड से कैलाशनगर, कुमावत कॉलोनी एवं प्रेमनगर तीनों आवासीय क्षेत्र के निवासी एवं समिति के सदस्य केन्द्रीय विद्यालय न0 2 के पश्चिम ओर से प्रेम नगर तक एक आम रास्ता पक्की डामर रोड है जिस पर उक्त क्षेत्र के समस्त निवासीगण आवागमन के अधिकार को करीब 18 से 20 वर्ष से जन उपयोग में लेते रहे है जो आज भी कायम है। यही तथ्य वादी साक्षी पी.डबल्यु. 2 लज्जाराम धाकड एवं पी. डबल्यु. 3 सुबेदार मेजर जसवंतसिंह ने मुख्यपरिक्षा के शपथ पत्र में बताये हैं। विवादित रास्ता आम रास्ता होने के तथ्य पर उक्त तीनों साक्षी प्रतिपरिक्षण में कितने अडिग रहें हैं इस संबंध में इनकी प्रतिपरिक्षा को देखा जाये तो पी. डबल्यू 1 का कथन हैं कि जिस जमीन पर रास्ते बने हुए हैं वह मिलिट्री एरिया में हैं, सडक का मेंटीनेंस सार्वजनिक निर्माण नहीं करता हैं मिलिट्री इंजिनियर्स सर्विस करती हैं। इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि यह पुरा सेना का सुरक्षित क्षैत्र हैं। पी. डबल्यू 2 का कथन हैं कि प्रदर्श 1 में दर्शित संपूर्ण एरिया मिलिट्री एरिया हैं यह सारी जमीन 68 के बाद मिलिट्री को सिपुर्द कर दी, पूरा मिलिट्री एरिया बाउण्ड्रीवाल से धिरा हुआ हैं, इस रास्ते का उपयोग केवल मिलिट्री एरिया में बने

हुए सरकारी कार्यालयों, केंटिन, बैंक, राशन की दुकान के उपयोग के लिए लेते हैं। पी0डब्ल्यू 3 का कथन है कि मिलिट्री ऐरिया के अंदर बनी सडके मिलिट्री के लिए ही है। मिलिट्री ऐरिया के अन्दर आने का हमें उन्हीं के द्वारा कार्ड दिया हुआ है, इसलिए हमें आने के लिए मना नही कर सकते है। इस सुझाव को सही होना बताया कि जिनके पास पास नही है उनको मिलिट्री ऐरिया में नही जाने देते है। हमारे पास कोई पास नही है जो आईडेन्टी कार्ड है वो ही हमारा पास है इससे हमें कोई रोकता नही है। इस प्रकार वादी पक्ष की ओर से विवादित रास्ता आम रास्ता या सडक होने के संबंध में जो मौखिक साक्ष्य दी गई है उसके खण्डन में प्रतिवादी की ओर से ले0कर्नल एस0के0धवन बतौर साक्षी डी0डब्ल्यू 1 परीक्षित हुआ है जिसने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में दोहराते हुए बताया है कि आसाम मैदा फैक्ट्री से केन्द्रीय विद्यालय तथा इसके आगे आम रोड निर्मित है वह रक्षा क्षेत्र के स्वामित्व की भूमि में है जिसका उपयोग मात्र रक्षा प्रयोजनार्थ व रक्षा भूमि पर निर्मित कार्यालयों, रक्षा कर्मचारियों के लिए बनाये गये आवासीय मकान, केन्द्रिय विद्यालय के बच्चों के लिए होता है यह सडक रक्षा विभाग ने अपने स्वामित्व की भूमि पर स्वयं ने अपने उपयोग के लिए बनाई है जो आम रास्ता नही है। जिरह में इस गवाह का कथन है कि यह रास्ता आम रास्ता नही है। मिलिट्री ऐरिया के अन्दर आर्मी से संबंधित विभाग ओर संस्थाएं है, यह ऐरिया पूर्णतः सुरक्षित है।

इस प्रकार वादी पक्ष की ओर से विवादित रास्ते को आम रास्ता होना प्रमाणित करने के लिए जो साक्ष्य आई है उसकी विवेचना की जाये तो साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 हरपाल सिंह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस रास्ते में सडक पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा नही बनाई जाकर मिलिट्री इंजिनियर्स सर्विस द्वारा बनाई गई है तथा रास्ते को मिलिट्री ऐरिया में बना होना स्वीकार किया है। पी0डब्ल्यू0 2 लज्जाराम धाकड ने इससे भी आगे बढते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह रास्ता शहर में आवागमन के उपयोग के लिए नही आता है बल्कि मिलिट्री ऐरिया में जाने के लिए आता है तथा इसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श 1 मे दर्शित सम्पूर्ण ऐरिया मिलिट्री ऐरिया है और यह सारी जमीन 1968 के बाद मिलिट्री को सुपुर्द कर दी। इसी प्रकार पी0डब्ल्यू0 3 सुबेदार मेजर जसवन्त सिंह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जिनके पास पास नही है उन्हें मिलिट्री ऐरिया में नही जाने देते है। वादी पक्ष के ओर से जो तीनों गवाह पेश हुए

है उन्होनें अपने प्रतिपरीक्षण में रास्तें की प्रकृति के संबंध में विरोधाभासी तथ्य बतायें है। कोई साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों पर अडिग नही रहा है। इसके विपरित प्रतिवादी साक्षी की मुख्य परीक्षा के कथन अखण्डित रहे है। मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजीय साक्ष्य पर विचार किया जाये तो वादी की ओर से प्रधानमंत्री को की गई शिकायत के अलावा दो दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है, जिनमें प्रदर्श 1 ब्ल्यू प्रिंट नक्शा है जो स्वयं वादी पक्ष द्वारा रास्ते की स्थिति को समझाने के लिए तैयार कर प्रस्तुत किया गया है तथा प्रदर्श 2 नक्शा वर्ष 1930–31 का राजपुताना स्टेट के समय का होना बताया गया है लेकिन इस नक्शे के अवलोकन से यह प्रकट नही होता है कि विवादित रास्ता इस नक्शे में दर्शित हो और वह रास्ता आम रास्ता हो। इस प्रकार विवादित रास्ते को आम रास्ता प्रमाणित करने के लिए न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर मौजुद है न ही मौखिक साक्ष्य से विवादित रास्ते से आम रास्ता होना कहा जा सकता है।

अपीलार्थी का दौराने बहस यह कथन रहा है कि विवादित रास्ते को अपने स्वामित्व का या अपना नीजि प्रमाणित करने के लिए प्रतिवादी पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है लेकिन प्रतिवादी द्वारा रास्ते को अपने स्वामित्व का होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही करने के आधार पर विवादित रास्ते को आम रास्ता नही कहा जा सकता है। वादी प्रतिवादी की कमजोरी के आधार पर अपने वाद में डिक्री की मांग नही कर सकता है उसे स्वयं यह तथ्य प्रमाणित करना था कि विवादित रास्ता आम रास्ता है लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा है, यदि विवादित रास्ता आम रास्ता होता तो आमजन बिना व्यवधान के रास्ते से आवागमन को स्वतंत्र होते लेकिन स्वयं वादी साक्षी ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जिन व्यक्तियों के पास पास होते है वो ही व्यक्ति इस रास्ते से गुजर सकते है तथा इस रास्ते में सडक का निर्माण भी सेना द्वारा रक्षा फण्ड से किया जाना वादी साक्षियों ने स्वीकार किया है। यदि विवादित रास्ता आम रास्ता होता तो उस पर सडक का निर्माण पी0डब्ल्यू0डी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता ना कि सेना द्वारा किया जाता।

अपीलार्थी का दौराने बहस सर्वाधिक बल कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय AIR 1988 Karnataka 300 Nitin G. Khot vs Station Commandant, Belgaum पर रहा है। इस न्यायिक दृष्टांत के आधार पर अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि सेना क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते को आमजन के लिए बंद करने

का कोई अधिकार सेना के पास नही है। इसी निर्णय के आधार पर रक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.10.1998 एवं दिनांक 20.12.2000 के आधार पर अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि प्रतिवादी को विवादित रास्ते के आवागमन मे बाधा कारित करने का कोई अधिकार नही है। अपीलार्थी के उक्त तर्क की रोशनी में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विचार किया जाये तो इस निर्णय में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया है कि अप्रार्थी द्वारा रास्ते से आवागमन के संबंध में जो आलोच्य प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है वे विधि के किन्ही प्रावधानों या विधि के किसी प्राधिकार के बिना किये गये है तथा ऐसे प्रतिबंधों को संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड 6 की परिधि में उचित प्रतिबंध में की श्रेणी में नही रखा जा सकता है। केवल मात्र सेना के क्षेत्र से सडक गुजरने के आधार पर सेना प्राधिकारी को आमजन के स्वतंत्र आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नही है क्योंकि ऐसे प्रतिबंध से अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत प्रदत स्वतंत्र आवागमन के मौलिक अधिकार का उलघंन होता है। उक्त निर्णय को Station Commandant, Belgaum द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP के जरिये चुनौती दी गई लेकिन SLP निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय के अंतिम हो जाने के पश्चात सेना मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.10.1998 को प्रदर्श 5 परिपत्र जारी किया गया जिसके तहत सभी स्टेशन कमाण्डर्स, फॉरमेशंस/ यूनिटस को यह सलाह दी कि केन्टोनमेन्ट ओर मिलिट्री स्टेशन मे किसी सडक पर आमजनता आवागमन करती है तो उसे केन्टोनमेन्ट एक्ट 1924 की धारा 192 के प्रावधानो के तहत ही प्रतिबंधित किया जावें। इसी परिपत्र के अनुक्रम में दिनांक 20.12.2000 को प्रदर्श 4 परिपत्र केन्टोनमेन्ट क्षेत्र में वाहन आवागमन की जांच के संबंध में जारी किया गया। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय एवं उसके परिप्रेक्ष्य मे जारी दोनो परिपत्र केन्टोनमेन्ट ऐरिया में स्थित रास्तों के संबंध में है लेकिन जयपुर मे स्थित सेना का मिलिट्री स्टेशन केन्टोनमेन्ट ऐरिया में नही आता है बल्कि यह क्षेत्र साउथ ऐरिया कमाण्ड क्षेत्र में आता है इसलिए उक्त निर्णय एवं परिपत्र अपीलार्थी की कोई मदद नही करते है। यदि जयपुर स्थित मिलिट्री स्टेशन केन्टोनमेन्ट ऐरिया में आता और उस केन्टोनमेन्ट एरिया से विवादित रास्ता गुजरता तो प्रतिवादी को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय एवं सेना मुख्यालय के परिपत्र प्रदर्श 4 एवं 5 के अनुक्रम में आमजन के आवागमन के अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवलमात्र इस आधार पर प्राप्त नहीं हो

जाता कि रास्ता केन्टोनमेन्ट ऐरिया से होकर गुजर रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित रास्ता आम रास्ता नही है ओर आम रास्ता नही होने के कारण वादी प्रतिवादी को विवश नही कर सकता है कि प्रतिवादी उन्हें विवादित रास्ते से आवागमन करने देंवे। निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए वादी को यह प्रमाणित करना होता हैं कि प्रतिवादी द्वारा उसके दीवानी अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा हैं लेकिन विवादित रास्ता आम रास्ता प्रमाणित न होने से वादी के किसी दीवानी अधिकार में प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा हैं इसलिए वादी निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिवादी को पाबन्द नहीं कर करवा सकते हैं कि प्रतिवादी उन्हें विवादित रास्ते के आवागमन से नहीं रोके। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1 अपीलार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

<u>बिन्दु संख्या 2</u>

वादी पक्ष का यह भी कथन रहा है कि विवादित रास्ते से कैलाश नगर, कुमावत कॉलोनी एवं प्रेमनगर तीनों ही आवासीय क्षेत्र के निवासी आवागमन के अधिकार का 18–20 वर्षों से उपयोग करते आये है। अपीलार्थी का अपील ज्ञापन में यह भी आधार रहा है कि हालांकि वादी विवादित रास्ते को प्रतिवादी के स्वामित्व का होना स्वीकार नही करते है फिर भी कुछ क्षण के लिए इसे सही माना जाये तो भी सुखाधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार रास्ते का उपयोग उपभोग करने का अधिकार वादी को है। वादी द्वारा सुखाधिकार का जो आधार लिया गया है उस पर विचार किया जाये तो वादी का स्पष्ट रूप से यह अभिवचन नही है कि रास्ते से आवागमन के बारें में वह किसी विशिष्ट सुखाधिकार की मांग कर रहे है। सुखाधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निम्न 8 प्रकार के सुखाधिकार बताये गये हैं क्रमशः आवश्यकता जनित (Easement of Necessity), चिरभोगाधिकार (Easement by Prescription) रुढिजन्य (Customary Easement), समनुषंगिक (Accessary Easement) सतत और असतत (Continuous or Discontinous Easement) प्रकट और अप्रकट (Apparent and Non apparent Easement),नकारात्मक (Negative Easement) एवं सकारात्मक (Positive Easement)। हस्तगत वाद पर आवश्यकता जनित सुखाधिकार (Easement of Necessity) एवं चिरभोगाधिकार (Easement of Prescription) के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाये तो आवश्यकता जनित

सुखाधिकार की मांग तभी ही की जा सकती है जब विवादित रास्ते के अलावा वादी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हो लेकिन वाद पत्र कलम संख्या 5 में वादी स्पष्ट रूप से यह अभिवचन लेकर आया है कि प्रतिवादी विवादित आम रास्ते को अवरूद्व कर देगे तो उक्त आवासीय क्षेत्र के निवासियों को समस्त सुविधाएं प्राप्त करने हेतु अनावश्यक रूप से 7–8 किमी झोटवाडा जाकर पुनः जयपुर झोटवाडा रोड का चक्कर लगा कर ही मिलिट्री ऐरिया में स्थित सुविधाओ को प्राप्त करने के लिए आना पडेगा। इस प्रकार वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने का तथ्य एक स्वीकृत तथ्य है ऐसी स्थिति में आवश्यकता जनित सुखाधिकार की मांग करने का वादी को कोई अधिकार नही है।

चिरभोगाधिकार के संबंध में विचार किया जावें तो सुखाधिकार अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानो के अनुसार यदि कोई भूस्वामी या अधिभोगी किसी अधिकार का बिना रूकावट के और 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक निरंतर निर्विध्न, अधिकार स्वरूप करता हैं तो इससे सुखाचार का जन्म होता हैं। सरकार की संपति हैं तो चिरभोग द्वारा सुखाचार का अर्जन 30 वर्ष तक बिना रूकावट शांतिपूर्वक उपभोग पर ही हो सकता हैं। चिरभोग के सुखाधिकार के लिए पांच तत्वों क्रमशः 20 वर्ष की अवधि, निरंतरता, बिना किसी बाधा के, शांतिपूर्वक उपयोग एवं अधिकार स्वरूप होना आवश्यक है यदि इनमे से किसी भी एक तत्व का अभाव है तो चिरभोगाधिकार नही हो सकता है। वादी अपने वाद में रास्ते का उपयोग करीब 18–20 वर्षो से करना बता कर आया है, ऐसी स्थिति में अवधि की दृष्टि से वादी को सुखाधिकार परिपक्व नही होता है इसके अलावा वाद में इन अभिवचनों का भी अभाव है कि वादी विवादित रास्ते का उपयोग निरंतर, बिना किसी बाधा के, अधिकार स्वरूप एवं शांतिपूर्वक कर रहा है। वादी के अभिवचनों में रही कमी को कुछ क्षण के लिए नजरअंदाज कर दिया जावे तो भी वादी साक्षी पी0डब्ल्यू0 3 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जिनके पास पास नही है उनको मिलिट्री ऐरिया में नही जाने देते है। हमारे पास कोई पास नही है जो आईडेन्टी कार्ड है वो ही हमारा पास है इससे हमें कोई रोकता नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा पास के रूप में दी गई अनुमति से अनुमति धारक रास्ते से आवागमन करता है। अनुमतिपूर्वक यदि कोई व्यक्ति रास्ते का उपयोग 30 वर्ष से भी अधिक समय से कर रहा है तो वह सुखाधिकार की मांग नही कर सकता है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी ने सुखाधिकार के आधार पर रास्ते से आवागमन

का हक होना बताया है कि लेकिन इसके संबंध में न तो वादी के स्पष्ट अभिवचन है न ही कोई साक्ष्य है। फलस्वरूप बिन्दु संख्या 2 का उत्तर नकारात्मक दिया जाता है।

<u>बिन्दु संख्या 3</u>

प्रतिवादी की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रतिरक्षा रही है कि विवादित सडक या रास्ता लोकमार्ग नही है और ना ही आम जनता के उपयोग उपभोग में आता है। वादीगण का वाद मात्र निषेधाज्ञा का होने के कारण चलने योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में तनकी संख्या 6 कायम कर इसका निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्व किया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी का अपील ज्ञापन में यह कथन रहा है कि दावा दायर करने की तिथि को वादीगण को आम रास्ते के अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा प्रतिवादी ताकत के बल पर रास्ते को बंद करने पर उतारू थे ऐसी सुरत में घोषणा का वाद लाने की आवश्यकता नही थी।

जिस रास्ते को वादी लोकमार्ग या आम रास्ता होना बता कर आया है उसे प्रतिवादी ने अपने स्वामित्व का बताया है तथा बिन्दु संख्या 1 में भी यही तथ्य निर्धारित हुआ है कि विवादित रास्ता आम रास्ता नही है। यदि स्वीकृत रूप से विवादित रास्ता आम रास्ता होता और उस आम रास्ते को प्रतिवादी या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा बंद किया जाता तो रास्ते को आम रास्ता घोषित करवाने की आवश्यकता नही थी। ऐसे कृत्य को निषेधाज्ञा के जरिये रूकवाया जा सकता था लेकिन जहा विवादित रास्ते की प्रकृति विवादित है वहा इस तथ्य की घोषणा करवाया जाना आवश्यक हो जाता है कि विवादित रास्ता आम रास्ता है लेकिन वादी द्वारा घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत नही किया गया है, इसलिए तनकी संख्या 6 का निर्णय वादी के विरूद्व करने में अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। वादी द्वारा सुखाधिकार के आधार पर भी विवादित रास्ते से आवागमन का अधिकार बताया गया है लेकिन सुखाधिकारों की घोषणा के संबंध में भी वादी ने भी कोई अनुतोष नही चाहा है। यदि किसी व्यक्ति के सुखाधिकार परिपक्व हो चुके है तो उसे इसकी घोषणा न्यायालय से करवानी होती है। सुखाधिकारों की घोषणा के अभाव में सुखाधिकार के आधार पर केवल मात्र निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नही है जैसा कि AIR 1982 Karnataka 314 D. Ramanatha Gupta vs S.Razaack में निर्धारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 3 का उत्तर नकारात्मक दिया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1,2,3 एवं 6 का निर्णय वादी के विरूद्व कर वाद खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। अपीलार्थी द्वारा जिन आधारों पर आलोच्य निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गई है उन आधारो पर आलोच्य निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप नही किया जा सकता है फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः अपीलार्थी भूतपूर्व सैनिक कल्याण तथा आम जनता द्वारा एरिया कमाण्डर के विरूद्व प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2012 की पुष्टि की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय का तलबशुदा अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब अधिनस्थ न्यायालय को लोटाया जावें।

(भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम–9, जयपुर महानगर, जयपुर।

आदेश दिनांक 29.07.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम–9, जयपुर महानगर, जयपुर।